कार्यालय –सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक : उ0वि0शि0प0 / यू0टी0ई0टी0 2025–विज्ञप्ति 01 / 111–114 / 2025–26 दिनांक 09/07/2025

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET- I&II) 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए

सूचना

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2011 एवं 28 जून 2018 के द्वारा राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य के नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा (**TET**) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

शासनादेश संख्या 163(I)/XXIV(1)/2016-15/2011 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 04 मार्च, 2016, शासनादेश संख्याः 867 / XXIV(1)/2017-15/2011 टी0सी0–01 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 13 नवम्बर 2017, शासनादेश संख्याः 93 / XXIV(1)/2020-15/2011 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 19 फरवरी 2020, शासनादेश संख्याः 889 / XXIV-A-1/2021-15/2011 VOL-1 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 28 जून 2021, शासनादेश संख्याः 146837 / XXIV-A-1/2023/59077/2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 16 अगस्त 2023, शासनादेश संख्याः 209832 / XXIV-A-1/2024-70142/2024 बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 09 मई 2024, शासनादेश संख्याः 214603 / XXIV-A-1/2024-69192/2024 बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 30 मई 2024 एवं शासनोदश संख्या 312401 / XXIV-A-1/2025-69192/2024 बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 08 जुलाई 2025 में में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) **UTET-I&II 2025** का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–2025 (प्रथम एवं द्वितीय) **दिनांक 27 सितम्बर 2025 (शनिवार) को क्रमशः प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे तक UTET-I तथा अपराह्न 02:00 बजे से 04:30 तक UETT-II राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में प्रस्तावित है।**

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–2025 (प्रथम एवं द्वितीय) में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यार्थियों से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा परिषद् की वेबसाइट **www.ukutet.com** पर **दिनांक 10 जुलाई 2025 से 05 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, निर्धारित अंतिम तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

ऑनलाइन आवेदन के क्रम में प्रमुख तिथियां निम्नवत् हैं–

1–	**ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि**	–	**10 जुलाई 2025 (प्रातः 11:00 बजे से)**
2–	**ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि**	–	**05 अगस्त 2025 (रात्रि 11:59 बजे तक)**
3–	**ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि**	–	**07 अगस्त 2025 (रात्रि 11:59 बजे तक)**
4–	**ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन / परिवर्तन करने की तिथि**	–	**09 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 (रात्रि 11:59 बजे तक)**

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु आवेदक के पास मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 होना अनिवार्य है। एक मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 पर एक ही आवेदक का पंजीकरण / आवेदन पत्र स्वीकार होगा। **ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।**

अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर जाकर ***"उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय–2025 : सूचना विवरणिका (UTET- I&II) 2025 : INFORMATION BROCHURE"*** को डाउनलोड कर उसमें दिये गये निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय–2025 हेतु पात्रता के सभी निर्धारित मानदण्डों को पूरा करता है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही वह आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होगें। परीक्षा शुल्क का विवरण निम्नवत् है–

क्रम स0	श्रेणी	एक परीक्षा हेतु शुल्क	दोनों परीक्षा हेतु शुल्क
1	सामान्य / अन्य पिछडा वर्ग	रु0 600.00	रु0 1000.00
2	अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 / निःशक्त वर्ग	रु0 300.00	रु0 500.00

9/7/2025

(वी0पी0 सिमल्टी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

रामनगर नैनीताल।